13.24 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 15/3/24 को पेश हो।

14/3/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण उपस्थित, विपक्षीगण 1 लगायत 14 व 16 लगायत 22 के सम्मन तामिल की रजि० एडी० प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया। वकील प्राथीगण विपक्षी सं. 15 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा कक-कक कर आवाजे डिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्राथीगण ने बहस करनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म मे |
|---|---|---|
| | चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |
| | उपखण्ड अधिकारी मण्डल | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

राजस्थान – सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या– 206/23 प्रा०पत्र
1– श्री ओमप्रकाश s/o श्री मांगीलाल सुनार निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)
– प्रार्थी

बनाम

1– श्री जगदीश s/o श्री देवी लाल स्वारोल निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)
(मुहरांकित प्रा-पत्र संलग्न)
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :– 14.03.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......माण्डल................ पटवार हल्का ......माण्डल I............ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 5705, 5706............. कुल किता ......02.................. रकबा 0.7334 ..................... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....29.12.23....... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल... ......................... पटवार हल्का .....माण्डल I......... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 5705......5706................ कुल किता ........02................ रकबा ..0.7334......... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ......माण्डल........ को ..............500..... रूपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

CamScanner